न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 146/2021

आरसीएमएस नं. 2021/146

1. करनैल सिंह पुत्र श्री करतार सिह आयु 85 वर्ष
2. नसीब कौर धर्मपत्नी स्व0 दर्शन सिह आयु 62 वर्ष
3. निर्मल सिह पुत्र स्व0 श्री दर्शन सिह आयु 40 वर्ष
4. बोहड़ सिह पुत्र स्व0 श्री दर्शन सिह आयु 36 वर्ष
5. बूटा सिह पुत्र श्री अजायब सिह आयु 35 वर्ष

} अकवाम जटसिख निवासी चक 8 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

—असल रेस्पोडेण्ट/वादी

2. अजायब सिंह पुत्र श्री जगर सिंह आयु 65 वर्ष जाति जटसिख निवासी चक 8 एस. एस.डब्ल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. जगजीत कौर (पुत्री स्व0 श्री दर्शन सिंह) आयु 58 वर्ष धर्मपत्नी श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी जगमाल वाली, तहसील कालांवाली मण्डी, जिला सिरसा।
4. मनप्रीत कौर (पुत्री स्व0 श्री दर्शन सिंह), आयु 34 वर्ष, धर्मपत्नी श्री जगराज सिह जाति जटसिख, निवासी हरीपुरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।
5. रूपजिन्द्र कौर (पुत्री स्व0 श्री दर्शन सिह) आयु 37 वर्ष, धर्मपत्नी श्री मोहर सिंह, जाति जटसिख, निवासी ख्यालीवाला, तहसील व जिला बठिण्डा।
6. पुष्पेन्द्र कौर (पुत्री स्व0 श्री दर्शन सिह), आयु 36 वर्ष, धर्मपत्नी श्री मलकीत सिंह, जाति जटसिख, निवासी ख्यालीवाला, तहसील व जिला बठिण्डा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

–तरतीबी रेपोडेण्ट / प्रतिवादीगण

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, हनुमानगढ
दिनांक 19.07.2021 प्रकरण संख्या 344 / 2020
अनवान सरकार बनाम करनैल सिंह आदि

श्री कैलाश धामू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री अमरदीप सिंह हुन्दल एवं श्री जावेद अख्तर अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 2 ता 6

निर्णय दिनांक 17.01.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष एक अर्जी दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत पेश किया कि चक 9 एसएसडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ (राजस्थान) के प. नं. 154 / 299 किला नं. 18 ता 23 की कुल 1.518 हैक्टर यानि 15180 वर्गमीटर भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीयों के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को राज्य सरकार के नियमों या विनियमों के तहत किसी कदर अकृषि में संपरिवर्तन नहीं करवाया है। अप्रार्थीगण को प्रश्नगत कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई है तथा अप्रार्थीयों द्वारा प्रार्थी की किसी स्वीकृति के बिना तथा राज्य सरकार के नियमों व विनियमों में भू रूपान्तरण करवाये बिना अकृषि कार्य ईंट भट्टा हेतु प्रयोग में लिया गया है अप्रार्थीयों ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक शर्तों का उल्लंघन किया है जिससे राज्य को क्षति कारित हुई। अतः अप्रार्थीयों को बेदखल कर प्रश्नगत कृषि भूमि को आराजीराज घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश धारा 177 आरटीएक्ट के प्रावधानो के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है। धारा 177 आरटीएक्ट में राजस्थान सरकार को किसी खातेदार के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र पेश करने का अधिकार नही है। प्रकरण के प्रारंभिक प्रक्रम पर एक आवेदन पत्र के रूप में दर्ज हो सकता था तथा धारा 177 (3) के प्रावधानों के अनुसार इस आवेदन पत्र के ही नोटिस जारी होने चाहिए थे तथा नोटिस तामील होने के उपरानत सम्बन्धित खातेदार द्वारा बेदखली का विरोध करने के उपरान्त ही धारा 177 (4) के प्रावधानों के अनुसार एक वादपत्र के रूप में ग्रहण करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायलाय ने इस आवेदन पत्र का नोटिस जारी न कर प्रथम पेशी पर ही आवेदन पत्र को एक वाद पत्र के रूप में ग्रहण कर सम्मन जारी करने का आदेश पारित किया है जो कतई गलत–अनुचित एवं अधिकारातीत है। धारा 177 (2) के अन्तर्गत संयुक्त खाता के समस्त सह हिस्सेदार आवश्यक पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायलाय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 दर्शन सिह पुत्र जगरसिह व हरहिन्द्र कौर पत्नी अजायब सिंह को इस प्रकरण में बतौर प्रतिवादी संयोजित किया तथा अधीनस्थ न्यायलाय ने भी कतई गलत व विधि विरूद्ध तामील को पर्याप्त मानते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है। जबकि

4. दर्शन सिंह व हरहिन्द्र कौर की मृत्यु हो चुकी थी तथा उनके वारिसान के पक्ष में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा विरास्तन इन्तकाल भी दिनांक 22.12.2020 को दर्ज किया गया है। संयुक्त खाता के समसत सह खातेदारों को पक्षकार नही बनाये जाने से आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की कोई सूचना अपीलाण्ट को नहीं मिली। आक्षेपित निर्णय व डिक्री का अपीलाण्ट को ज्ञान नही था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे। धारा 177 आरटीए के अन्तर्गत पारित आदेश धारा 178 के अध्यधीन है तथा यदि किसी कृषक ने अपनी भूमि को किसी अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में भी लिया है तो उसे ऐसे अहितकारी कृत्य को बन्द करने एवं पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए तीन माह

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

का समय दिया जाता है। अपीलाण्ट व रेस्पोडण्ट ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष ईंट भट्टा में रूपान्तरित करने कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्रार्थना–पत्र पेश किया था जो लम्बित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि चक 9 एसएसडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ (राजस्थान) के प. नं. 154/299 किला नं. 18 ता 23 की कुल 1.518 हैक्टर यानि 15180 वर्गमीटर भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीयों के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को राज्य सरकार के नियमों या विनियमों के तहत किसी कदर अकृषि में संपरिवर्तन नहीं करवाया है। अप्रार्थीगण को प्रश्नगत कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई है तथा अप्रार्थीयों द्वारा प्रार्थी की किसी स्वीकृति के बिना तथा राज्य सरकार के नियमों व विनियमों में भू रूपान्तरण करवाये बिना अकृषि कार्य ईंट भट्टा हेतु प्रयोग में लिया गया है अप्रार्थीयों ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक शर्तों का उल्लंघन किया है जिससे राज्य को क्षति कारित हुई। अपीलाण्ट को नोटिस दिये गये थे बावजूद नोटिस के वे उपस्थित नहीं आये। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश का पूर्व से ही ज्ञान रहा है। अपीलांट ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं बताया है। अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। अपीलांट अप्रार्थीयों को बेदखल कर प्रश्नगत कृषि भूमि को आराजीराज घोषित किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रस्तुत करने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रश्नगत चक 9 एसएसडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ (राजस्थान) के प. नं. 154/299 किला नं. 18 ता 23 की कुल 1.518 हैक्टर यानि 15180 वर्गमीटर भूमि को रकबाराज घोषित कर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश पारित किये हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि उसे नोटिस की कोई सूचना नहीं मिली उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हैं।

9. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हानिप्रद कार्य का शर्त भंग के कारण बेदखली के प्रावधान किये गये हैं, जिसमें उपधारा (3) में यह उल्लेख है कि इस धारा के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर न्यायालय विपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा जिसें उसे ऐसी अवधि जो नाकटिस में उल्लेखित की जाए के अन्दर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि से बेदखल क्यों न कर दिया जाए कारण बताने का आदेश देगा। उपधारा (4) में यह प्रावधान है कि 'यदि वह नोटिस में उलेखित अवधि के भीतर उपस्थित आता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय यथोचित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने पर उस आवेदन को वाद समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार की एक वाद में कार्यवाही का निस्तारण किया गया है। इसके अलावा धारा 178 (2) में यह प्रावधान है कि 'ऐसी डिक्री या आज्ञा में यह भी निर्देश होगा कि अगर आगामी डिक्री या आज्ञा की तारीख से तीन महिने के अन्दर या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर जिसके लिए न्यायालय कारण लिख कर अनुमति दे, टूट फूट की मरम्मत करवा दे या ऐसे मुआवजे का भुगतान कर दे तो न्यायालय उचित समझे तो डिक्री या आज्ञा की लागत के अलावा अन्य किसी के लिए निष्पादन नहीं किया जायेगा। इस प्रकरण में इस तरह के कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं जो अपेक्षित थे। अपीलाण्ट को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 178 (2) के तहत तीन माह का समय नहीं दिया गया है जो कि अपेक्षित था। अपीलाण्ट द्वारा अपील में ये कथन किया गया है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिला है। प्रश्नगत भूमि का भू परिवर्तन करने का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है। अपीलाण्ट इस संबंध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है। यदि उपरौक्त

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तीन माह की अवधि में दस्तावेज पेश कर देता है तो उसे भी दृष्टि रखते हुए निर्णय पारित किया जाना उपेक्षित है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2021 निरस्त किया जाता है एवं प्रश्नगत भूमि की दिनांक 19.07.2021 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती हैं तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 178 (2) के प्रावधानों की पालना कर उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.1.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

17.1.23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़